बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड
(बिहार सरकार का एक उपक्रम)
वेबसाइटः- bsbccl.bihar.gov.in
BSBCCL
Build Green, Live Green!
CIN:U45200BR2008SGC013513
BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.
(A Government of Bihar Undertaking)
Website:- bsbccl.bihar.gov.in

पत्रांक-बी0एस0बी0सी0सी0एल0-458/2023 (प्रशासन) - 511 दिनांक- 08/02/24

अतिअल्पकालिन कोटेशन आमंत्रण सूचना सं0-69/2023-24

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 में stadd pro सॉफ्टवेयर एवं पेशेवर कर्मी का आपूर्ति हेतु बाह्य एजेन्सी का चयन किया जाना है। इस संदर्भ में अर्हता प्राप्त इच्छुक एजेन्सी दिनांक-22.02.2024 को अपराह्न 3:00 बजे तक महाप्रबंधक (प्रशासन) बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना, हॉस्पीटल रोड, पटना-23 के कार्यालय में हाँथो-हाँथ मुहरबंद लिफाफा में निविदा भेज सकते है। ससमय प्राप्त सभी निविदादाताओं का तकनीकी भाग दिनांक-22.02.2024 को अपराह्न 3:00 बजे खोला जाएगा। इस निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार का शुद्धि-पत्र/जानकारी निगम के वेबसाइट www.bsbccl.bihar.gov.in के माध्यम से प्रकाशित की जाएगी।

महाप्रबंधक (प्रशासन)
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0,
पटना।

निबंधित कार्यालयः बी0एस0बी0सी0सी0एल, हॉस्पीटल रोड, शास्त्री नगर, पटना-800023, दूरभाषः +91-612-2284861, फैक्सः +91-612-2280324, ई-मेलः bsbccl@bihar.gov.in
Registered Office: BSBCCL, Hospital Road, Shastri Nagar, Patna - 800023, Telephone No.: +91-612-2284861, Fax: +91-612-2280324, Email: bsbccl@bihar.gov.in

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड
(बिहार सरकार का एक उपक्रम)
वेबसाइट:- bsbccl.bihar.gov.in

BSBCCL

BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.
(A Government of Bihar Undertaking)
Website:- bsbccl.bihar.gov.in

Build Green, Live Green!
CIN:U45200BR2008SGC013513

पत्रांक-बी0एस0बी0सी0सी0एल0-458/2023 (प्रशासन) - 511 दिनांक- 08/02/24

अतिअल्पकालिन कोटेशन आमंत्रण सूचना सं0-69/2023-24

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 में stadd pro साफ्टवेयर एवं पेशेवर कर्मी की आपूर्ति हेतु बाह्य एजेन्सी का चयन किया जाना है। इस संदर्भ में अर्हता प्राप्त इच्छुक एजेन्सी दिनांक-22.02.2024 को अपराह्न 3:00 बजे तक महाप्रबंधक (प्रशासन) बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना, हॉस्पीटल रोड, पटना-23 के कार्यालय में हाँथो-हाँथ मुहरबंद लिफाफा में निविदा भेज सकते है। ससमय प्राप्त सभी निविदादाताओं का तकनीकी भाग दिनांक-22.02.2024 को अपराह्न 3:00 बजे खोला जाएगा। इस निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार का शुद्धि-पत्र/जानकारी निगम के वेबसाइट www.bsbccl.bihar.gov.in के माध्यम से प्रकाशित की जाएगी।

निविदा का तकनीकी भाग तथा वित्तीय भाग दो अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में रखकर उसे एक बड़े लिफाफे में सील कर बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 के कार्यालय में निर्धारित तिथि एवं समय यथा दिनांक-22.02.2024 को अपराह्न 3:00 बजे तक भेजना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। डाक अथवा कुरियर के द्वारा किसी भी प्रकार का विलम्ब अनुमान्य नहीं होगा।

2. तकनीकी अर्हता :-

निविदादाताओं को निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि से पूर्व तक निम्न वर्णित अर्हता होना अनिवार्य है। इस संदर्भ में स्वहस्ताक्षरित संबंधित अभिलेख साक्ष्य स्वरूप तकनीकी भाग में संलग्न कर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा:-

(i) निविदादाता फर्म को कम से कम 05 (पाँच) वर्षो का समान कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है।

(ii) फर्म का जी0एस0टी0 निबंधन होना अनिवार्य है।

(iii) फर्म का PAN होना अनिवार्य है।

(iV) विगत तीन वित्तीय वर्षो यथा यथा वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में किसी एक वर्ष का टर्न ओवर कम से कम 01 (एक) करोड़ होना अनिवार्य है। इस हेतु Balance Sheet, P&L, Audit Report उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। Balance Sheet एवं Profit & Loss पर UDIN होना अनिवार्य होगा।

(V) विगत 05 (पाँच) वर्षो में किसी भी सरकारी/अर्धसरकारी संस्थान में stadd pro एवं पेशेवर (Architect अथवा graduate engineer) का सेवा उपलब्ध कराने का अनुभव अनिवार्य है।

(Vi) कोटेशनदाता को बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना के नाम से रू 5,000/- (पॉच हजार रूपया) मात्र का नन-रिफन्डेबल डिमान्ड ड्रॉफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(Vii) एजेन्सी का चयन उपरान्त चयनित एजेन्सी को Earnest Money के रूप में रू 25,000/- (पच्चीस हजार रूपया) मात्र का एफ0डी0आर0 जो महाप्रबंधक (वित्त), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञित (Pledge) हो, जमा करना अनिवार्य होगा।

(Viii) निविदादाता को इस आशय का शपथ-पत्र देना अनिवार्य होगा कि उनकी फर्म को किसी भी सरकारी/गैर सरकारी/किसी संस्था द्वारा डीबार/कालीकृत नहीं किया गया है। साथ ही उनपर किसी भी प्रकार का अपराधिक मामला/अन्य मामला दर्ज नहीं है।

3. तकनीकी भाग में सफल निविदाकारों का ही वित्तीय भाग खोला जाएगा।
4. एक से अधिक एजेन्सीयों का समान दर पाए जाने की स्थिति में लौटरी के माध्यम से एजेन्सी का चयन किया जाएगा।
5. बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 द्वारा उपलब्ध कराए गए वित्तीय भाग के प्रारूप में ही एजेन्सी के वित्तीय भाग/निविदा को स्वीकार किया जाएगा। किसी अन्य प्रारूप में वित्तीय निविदा को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस संदर्भ में एजेन्सी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
6. Stadd pro software पेशेवर कर्मी (जो Bachelor of Architecture उत्तीर्ण हो तथा इस क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षो का अनुभव हो) सहित की सेवा उपलब्ध कराने का अनुभव होना अनिवार्य है।
7. चयनित एजेन्सी को स्वीकृत दर के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार के व्यय का भुगतान/प्रतिपूर्ति नहीं किया जाएगा।

8. वित्तीय भाग में उद्धृत दर के विरूद्ध software एवं कर्मी का अलग-अलग दर अंकित करना अनिवार्य होगा। एकरारनामा अवधि के दौरान भविष्य में यदि अतिरिक्त software अथवा पेशेवर अथवा दोनो की आवश्यकता होगी, तो स्वीकृत दर पर अलग से कार्यादेश निर्गत किया जा सकता है।

9. चयनित एजेंसी को निर्धारित अर्हता प्राप्त पेशेवर ही उपलब्ध कराना होगा।

10. चयनित एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए software में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो अधिकतम तीन दिनों के अन्दर उसका निराकरण करना अनिवार्य होगा। यदि तीन दिनों के अन्दर निराकरण नहीं होता है, तो प्रतिदिन का समानुपातिक दर का दोगुना आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जाएगा। यदि एजेंसी द्वारा अधिकतम 07 दिनों के अन्दर समस्या का सामाधान नहीं किया जाएगा तो निगम द्वारा नियमानुकूल कार्रवाई करते हुए एकरारनामा रद्द किया जा सकता है।

11. चयनित एजेन्सी को निर्धारित विशेषता का software एवं अर्हत्ता प्राप्त पेशेवर कर्मी की सेवा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इस संदर्भ में software की विशेषता एवं पेशेवर कर्मी की अर्हत्ता नीचे अंकित है :-

क्रं0 सं0	विवरणी	विशेषता/अर्हत्ता	मात्रा
1.	Stadd Pro software	1. Stadd pro advanced 2. Stadd Advanced concrete design 3. Stadd foundation advanced 4. RAM structural system 5. RAM concept with RAM concept post tension 6. RAM Elements 7. RAM Connection 8. Microstran advanced 9. Itwin analytical synchronizer.	01
2.	Associate Architect (पेशेवर कर्मी)	1. वास्तुविद् संकाय में स्नातक उत्तीर्ण (मान्यता प्राप्त संस्थान) के साथ ही न्यूनतम 6 (छः) वर्षो का समान कार्य का अनुभव।। 2. वास्तुकला परिषद्, भारत से पंजीकरण होना अनिवार्य।	01
(राज्य सरकार से सेवानिवृत्त वास्तुविद को प्राथमिकता दी जा सकती है।)			

12. एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले कर्मी से अधिकतम 65 (पैसठ) वर्ष की उम्र तक सेवा ली जा सकती है।

13. एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कर्मियों को स्वीकृत्त दर के अतिरिक्त किसी भी अन्य भत्ता आदि का भुगतान नहीं किया जाएगा। साथ ही भविष्य में उनके सेवा नियमितिकरण का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
14. बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 द्वारा स्वीकृत्त दर अगले 03 (तीन) वर्षो के लिए मान्य होगा। कार्य संतोषप्रद रहने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 05 (पॉच) प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है। एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले किसी कर्मी की उम्र 18 (अठारह) वर्ष से कम नहीं होना चाहिए।
15. जी0एस0टी0 अथवा किसी अन्य कर के संदर्भ में यदि सक्षम प्राधिकार द्वारा कोई बदलाव किया जाएगा तो उसका वहन बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 द्वारा किया जाएगा।
16. मानव बल आपूर्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का वैद्यानिक दायित्वों को पूर्ण करने की जिम्मेवारी चयनित एजेन्सी की होगी। पी0एफ0, ई0एस0आई0, न्यूनतम मजदूरी दर आदि से संबंधित सभी प्रावधानों को पूरा करने की जिम्मेवारी चयनित एजेंसी की होगी।
17. एजेन्सी का चयन 03 (तीन) वर्षो के लिए होगा। संतोषप्रद सेवा की स्थिति मे आवश्यकतानुसार इसे एक-एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्षो का अवधि विस्तार दिया जा सकता है।
18. चयनित एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत पेशेवर को राज्य सरकार द्वारा घोषित अवकाश के अतिरिक्त एक वर्ष में कूल 12 (बारह) आकस्मिक अवकाश अनुमान्य होगा। उल्लेखनीय है कि आकस्मिक अवकाश लेने से पूर्व सक्षम प्राधिकार का अनुमति अनिवार्य है।
19. चयनित एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत कर्मियों को किसी भी प्रकार का अवैतनिक अवकाश अनुमान्य नहीं होगा। यदि बिना सक्षम प्राधिकार से अवकाश स्वीकृत्त कराए बिना कोई भी कर्मी 03 (तीन) दिन से अधिक लगातार अनुपस्थित पाए जाऐगें तो उनको सेवा से हटाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधिकतम 10 (दस) दिनों के अन्दर एजेन्सी को अर्हत्ता प्राप्त अन्य कर्मी की सेवा उपलब्ध करानी होगी।
20. सेवा में त्रुटि पाए जाने अथवा किसी भी प्रकार की लापारवाही पाए जाने की स्थिति में आर्थिक दण्डस्वरूप उचित राशि की कटौती करते हुए एजेंसी को डीबार अथवा कालीकृत भी किया जा सकता है।
21. चयनित एजेन्सी के विपत्रों का भुगतान नियमानुकूल कर (TDS) की कटौती उपरान्त की जाएगी।

22. चयनित एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत कर्मी को मानदेय का भुगतान एजेन्सी द्वारा के बैंक खाता के माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा। चयनित एजेन्सी को मानदेय का भुगतान माह के प्रथम सप्ताह में करना अनिवार्य होगा।
23. बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 द्वारा एक माह पूर्व सूचना देकर कभी भी एकरारनामा को रद्द किया जा सकता है। इस संदर्भ में एजेन्सी अथवा उनके माध्यम से कार्यरत किसी भी कर्मी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
24. चयनित एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले कर्मियों का शैक्षणिक एवं कार्यानुभव से संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी एजेन्सी की होगी। अभिलेख सत्यापन के क्रम में यदि कोई भी अभिलेख फर्जी पाया गया तो एजेन्सी एवं संबंधित कर्मी के विरूद्व नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।
25. चयनित एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत कर्मी को अद्यतन चरित्र प्रमाण उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। साथ ही सेवानिवृत्त कर्मी के संदर्भ में सिविल सर्जन द्वारा निर्गत अद्यतन स्वास्थ्य प्रमाण उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
26. यदि किसी कारणवश निगम एवं एजेंसी के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उक्त मामला पटना क्षेत्र के न्यायालय में ही दायर होगा।
27. वित्तीय भाग में एक से अधिक विविदादाता का समान दर होने की स्थिति में वित्त विभाग, बिहार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में लॉटरी के माध्यम से एजेंसी का चयन किया जाएगा।
28. चयनित एजेंसी को बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा निर्गत कार्यादेश के आलोक में प्रत्येक पद हेतु कम-से-कम 03 (तीन) अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की सूची (सुसंगत अभिलेख के साथ) उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उक्त सूची के आधार पर निगम मुख्यालय स्तर पर योग्य मानवबल/कर्मी का चयन किया जाएगा। एजेंसी द्वारा दिए गए सूची में कोई भी योग्य अभ्यर्थी नहीं पाए जाने की स्थिति में एक सप्ताह के अन्दर एजेंसी को पुनः कम-से-कम 03 (तीन) अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

8/2/24

महाप्रबंधक (प्रशासन)
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0,
पटना।

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना।

वित्तीय भाग का प्रारूप

कार्य का नाम	मात्रा	राशि (रू0 में) प्रतिमाह (सभी प्रकार के व्यय, सहित(कर अतिरिक्त (GST अतिरिक्त)
निर्धारित विशेषता के साथ सॉफ्टवेयर एवं निर्धारित अर्हता प्राप्त पेशेवर कर्मी का आपूर्ति हेतु समेकित दर।	01	

स्वीकृत दर पर GST का भुगतान अलग से किया जाएगा।

क्रं0सं0		मात्रा	दर (रू0 में)
(i)	Stadd Pro (निर्धारित विशेषता के साथ)		
(ii)	पेशेवर कर्मी (निर्धारित अर्हता के साथ)		
(iii)	एजेंसी का कमीशन न्यूनतम 3.85 प्रतिशत एवं अधिकतम 7 प्रतिशत (i) + (ii) [illegible]		
		कुल	

एजेंसी के प्राधिकृत कर्मी का नाम एवं तिथि हस्ताक्षर ....

तिथि ....